नवंबर 2020

पैरवी संवाद

पब्लिक एडवोकेसी इनीशिएटिव्स फ़ॉर राइट्स एण्ड वैल्यूज़ इन इण्डिया की त्रैमासिक पत्रिका

साथियो,

पिछले कुछ सालों में हमारी केन्द्र सरकार लगातार ऐतिहासिक फैसले लेती आ रही है। ऐतिहासिक इस मामले में भी कि उन फैसलों पर सरकार की बड़े पैमाने पर आलोचना हुई है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार नोटबंदी के फैसले ने 50 लाख लोगों से उनका रोजगार छीन लिया। 2020 के मार्च में चार घंटे की मोहलत देकर किए गए लॉकडाउन ने हजारों मजदूरों को पैदल घरों की ओर कूच करने के लिए मजबूर किया जिसमें सैकड़ों की मौत हो गई। सरकार ने ये दोनों फैसले अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और कोविड की रोकथाम से लिहाज से ऐतिहासिक बताए थे। इसके बाद 5 जून को सरकार ने कृषि से जुड़े तीन और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जिनका नतीजा है कि देश की कृषि करने वाली हजारों की आबादी देश की राजधानी में सरकार के खिलाफ धरने पर बैठी है। सरकार द्वारा राज्यसभा में बिना वोटिंग के पारित करा लिए गए तीनों कृषि कानूनों को किसानों की नयी आजादी के रूप में प्रचारित किया जा रहा है लेकिन इन कानूनों से किसानों के बजाय कॉरपोरेट घरानों का हित ज्यादा होता दिख रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी भी इन कानूनों से नदारद है। नतीजतन किसान इन कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। देश की आजादी के बाद किसानों का इतना व्यापक विरोध प्रदर्शन पहली बार है, जिसे दुनियाभर के किसानों, बौद्धिकों और नागरिक समाज संगठनों का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि छोटे और सीमांत किसानों की चुनौतियां केवल भारत ही नहीं पूरी दुनिया में एक जैसी हैं। यह वाकई इतिहास में दर्ज होने वाला प्रदर्शन है। अगस्त में उच्चतम न्यायालय ने पिता की सम्पत्ति में बेटियों के उत्तराधिकार के संदर्भ में यकीनन एक अभूतपूर्व फैसला दिया है, जो संपत्ति में बेटियों को जन्म से ही समान अधिकार देता है। इस अंक में हमने किसानों के विरोध, बेटियों के संपत्ति में अधिकार पर बात रखी है, साथ ही बंदी अधिकार, कोविड-19 व अन्य विषयों पर पैरवी के प्रयासों को साझा किया है।

– रजनीश साहिल

इस अंक में ...

पृष्ठ 2

भारत में किसान प्रतिरोध क्यों कर रहे हैं?

- अजय झा

पृष्ठ 4

सम्पत्ति में बेटियों को हक़

- दीनबंधु वत्स

पृष्ठ 6

पैरवी गतिविधियाँ

भारत में किसान प्रतिरोध क्यों कर रहे हैं?

अजय झा

Photo: Rajneesh Sahil

भारत में किसानों का विरोध इस बात का प्रतीक है कि दुनिया भर में छोटे और सीमांत किसानों और खेत मजदूरों के साथ क्या हो रहा है, जो कि साम्राज्यवादी नीतियों के दबाव और कृषि के निगमीकरण के तहत हो रहा है।

भारत हाल की स्मृति में एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व विरोध देख रहा है। लाखों किसान करीब एक महीने से दिल्ली के बाहर धरना दे रहे हैं। उनमें से ज्यादातर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड से संबंधित हैं, हालांकि विरोध का एक राष्ट्रीय चरित्र है क्योंकि इन किसानों के समर्थन में 500 से अधिक किसान संगठन और श्रमिक संघ एक साथ आए हैं। इस विरोध को न केवल भारत और दक्षिण एशिया में बल्कि पूरे विश्व से शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों और नागरिक समाज संस्थाओं का भरपूर समर्थन मिला है।

उत्पत्ति

5 जून को, भारत सरकार ने किसान उपज और वाणिज्य, अनुबंध खेती और आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन से संबंधित तीन अध्यादेश पारित किए, जबकि देश में तालाबंदी चल रही थी। इस तथ्य के बावजूद कि इन कानूनों को लाने की कोई तात्कालिक आवश्यकता नहीं थी और न ही ये सीधे तौर पर किसी भी मामले में कोविड महामारी से संबंधित थे, इन अध्यादेशों को 'कोविड राहत पैकेज' के एक भाग के रूप में लाया गया था। इन कानूनों को संसद के माध्यम से सितंबर के अंत में असंवैधानिक तरीके से लाया गया था, जहां पीठासीन अधिकारी ने इन पर राज्यसभा में मतदान की अनुमति नहीं दी थी। कानून के तहत आने वाले मुद्दे राज्यों के विधायी दायरे में आते हैं न कि केंद्र सरकार के, उसके बावजूद यह कानून राज्यों या किसी भी किसान संगठनों के परामर्श के बिना लाए गए थे।

किसान तीन कानूनों को कॉरपोरेट के पक्ष में और किसानों के हितों के खिलाफ मानते हैं, जो कि किसानों के इस ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन के केन्द्र में है।

क्या हैं तीनों कानून

किसान उपज, व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020 अब तक की संरचना (कृषि उत्पाद विपणन समिति या एपीएमसी) को दरकिनार करता है और एक समानांतर संरचना बनाता है जो किसानों को अपनी उपज एपीएमसी के बाहर बेचने की अनुमति देता है। एपीएमसी राज्य द्वारा विनियमित मंडियां हैं जहां किसान जा सकते हैं और अपनी उपज को एक छोटे से लेवी के लिए बेच सकते हैं। सरकार का दावा है कि अधिनियम किसानों को देश में कहीं भी अपनी उपज बेचने की स्वतंत्रता देता है। किसानों का आरोप है कि पहले भी एपीएमसी मंडियों के बाहर अपनी उपज बेचने वाले किसानों पर कोई प्रतिबंध नहीं था। वास्तव में सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केवल 6-7 प्रतिशत उपज की खरीद करती है, और 85 प्रतिशत से अधिक किसान स्थानीय स्तर पर अपनी उपज बेचते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अधिनियम में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के संदर्भ की अनुपस्थिति उन्हें कृषि व्यवसाय कंपनियों और व्यापारियों को एमएसपी से नीचे उपज बेचने के लिए मजबूर कर देगी। राज्य सरकारों को मंडियों से प्राप्त होने वाले राजस्व के नुकसान का डर है।

किसान (संरक्षण एवं संवर्धन) मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा करार अधिनियम, 2020 अनुबंध खेती को प्रोत्साहित करता है। यहां भी एमएसपी का जिक्र नहीं है। इसके अनुसार अनुबंध के विवादों को किसी भी अदालत में नहीं ले जाया जा सकता है, कंपनियों और किसानों के बीच विवादों के मामले में निर्णय की शक्ति किसी न्यायिक अधिकारी के बजाय एसडीएम (नौकरशाह) को दी गई है।

आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 अकाल, युद्ध, आपात स्थिति आदि को छोड़कर या बागवानी के लिए 100 प्रतिशत और कृषि उत्पादों के लिए 50 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि के मामले को छोड़कर किसी भी व्यक्ति या कंपनियों द्वारा कृषि उत्पादों की खरीद और स्टॉक करने से प्रतिबंध हटा देता है। यह अधिनियम कंपनियों को जितना चाहें उतना कृषि उत्पाद खरीदने और स्टॉक करने की अनुमति देता है।

किसान क्या मांग रहे हैं

किसानों को लगता है कि ये अधिनियम कंपनियों के पक्ष में और किसानों के हितों के खिलाफ हैं। इसलिए, वे इन तीनों अधिनियमों को निरस्त करने, एमएसपी की रक्षा के लिए एक कानून लाने के लिए कह रहे हैं (जो इनपुट श्रम की लागत से 50 प्रतिशत अधिक होना चाहिए)। दूसरी ओर सरकार कह रही है कि किसान भोले हैं, ये कानून उन्हें आजादी देंगे जो 1947 से आजादी के बावजूद जंजीरों में जकड़े हुए हैं। सरकार यह भी आरोप लगाती है कि किसान विपक्ष के प्रतिकूल आख्यानों के आगे झुक रहे हैं, और चरमपंथी तत्वों ने किसानों के बीच घुसपैठ की है।

निष्कर्ष

तीनों कृषि कानूनों ने आंदोलन को तत्काल गति प्रदान की है। हालांकि, कृषि और किसानों का संकट इससे भी गहरा है और किसान आंदोलन

अमेरिका इसका एक बड़ा उदाहरण है कि इन नीतियों के तहत किसानों को प्रति व्यक्ति 60,000 डॉलर प्रति वर्ष से अधिक की सब्सिडी के बावजूद कृषि कायम नहीं रह सकती। यूरोप भी किसानों को हर साल 8000 डॉलर से अधिक की सब्सिडी देने के बावजूद कृषि का समर्थन करने और उसे बनाए रखने में विफल रहा है।

काफी समय से चल रहा है। पिछले कुछ वर्षों से अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले 100 से अधिक किसान संगठन और संघ एक साथ आए हैं और एमएसपी, कृषि ऋण और छूट, किसानों की आत्महत्या, कीटनाशकों के छिड़काव से किसानों की मौत सहित किसानों के विभिन्न मुद्दों पर अभूतपूर्व एकजुटता दिखाई है। वास्तव में, भारत में किसानों का विरोध इस बात का प्रतीक है कि दुनिया भर में छोटे और सीमांत किसानों और खेत मजदूरों के साथ क्या हो रहा है, जो कि साम्राज्यवादी नीतियों के दबाव और कृषि के निगमीकरण के तहत हो रहा है, और विकासशील देशों को एक असफल खुले बाजार में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए दबाव में डाल रहा है। अमेरिका इसका एक बड़ा उदाहरण है कि इन नीतियों के तहत किसानों को प्रति व्यक्ति 60,000 डॉलर प्रति वर्ष से अधिक की सब्सिडी के बावजूद कृषि कायम नहीं रह सकती। किसानों को 'या तो बड़ा होना है या बाहर निकलना है।' यूरोप भी किसानों को हर साल 8000 डॉलर से अधिक की शानदार सब्सिडी के बावजूद कृषि का समर्थन करने और उसे बनाए रखने में विफल रहा है। विशेष रूप से डेयरी क्षेत्र का संकट बता रहा है कि अमेरिका में 90 प्रतिशत से अधिक छोटी डेयरियां बंद हो गई हैं और यूरोपीय संघ उत्पादित पनीर और मक्खन के मूल्य का 70 - 80 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान कर रहा है। भारतीय डेयरी पर, जो कि 100 मिलियन से अधिक छोटे किसानों को सहयोग करती है, यूरोपीय संघ के साथ आरसीईपी या एफटीए में मुक्त व्यापार समझौतों का भारी दबाव है। पिछले साल एक विरोध प्रदर्शन में डेयरी किसानों ने ६६ ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल भरने के लिए पर्याप्त दूध सड़कों पर फेंक दिया। वास्तव में पिछले तीन दशकों से छोटे किसानों के लिए कृषि उपज के लिए फार्म गेट की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं और पूंजीपतियों ने किसानों की कीमत पर उनकी अर्थव्यवस्था को सब्सिडी दी है।

जहां तक भारतीय किसानों का संबंध है, एक के बाद एक सरकारों ने उन्हें बेवकूफ बनाया है। एक सरकारी रिपोर्ट (आर्थिक सर्वेक्षण, 2016) कहती है कि भारत के 17 राज्यों में एक किसान परिवार की औसत आय 20,000 रुपये प्रति वर्ष है। एक हालिया सर्वेक्षण हमें बताता है कि प्रति परिवार औसत कर्ज लगभग 47,000 रुपये है। ऐसे में यह आश्चर्य की बात नहीं है कि हर दिन औसतन 31 किसान आत्महत्या कर रहे हैं।

◆◆

सम्पत्ति में बेटियों को हक़

हिन्दू उत्तराधिकार क़ानून और उच्चतम न्यायालय का निर्णय

दीनबंधु वत्स

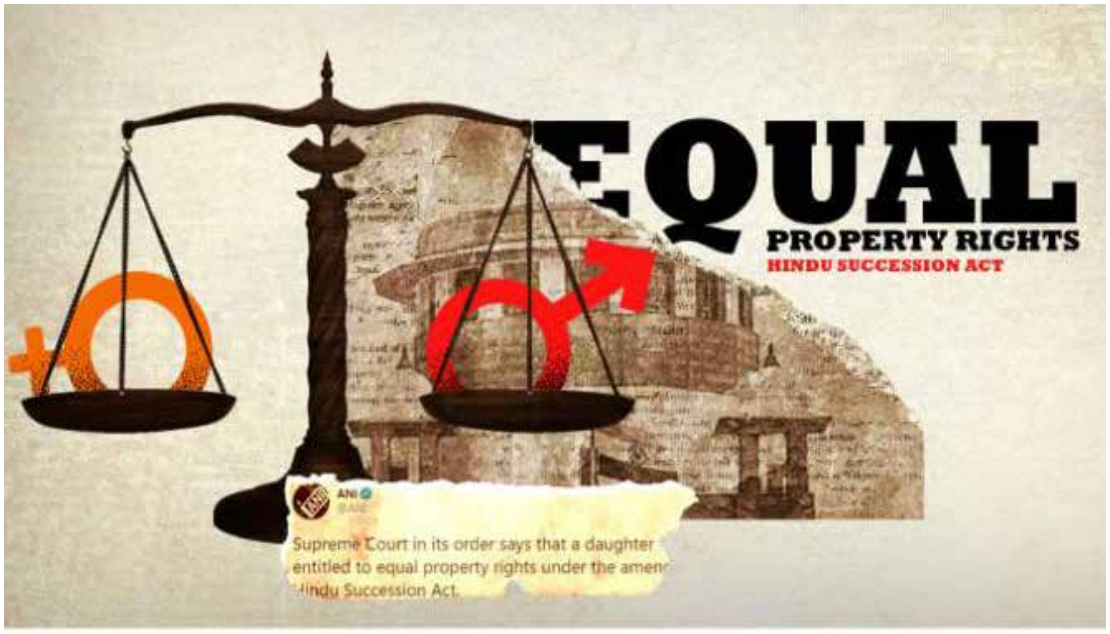

image Source: https://cdn.soolegal.com/

2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून में संशोधन करके ये व्यवस्था की गई थी कि महिलाओं को पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन जब महिलाओं की ओर से अधिकारों की माँग की गई तो ये मामले कोर्ट पहुंचे, और कोर्ट पहुंचकर भी महिलाओं के हक में फैसले नहीं हुए।

महिलाओं का संपत्ति पर समान अधिकार एक ऐसा सवाल है जिससे ज्यादातर महिलाएं जूझ रही हैं, भारत में महिलाओं को पिता की संपत्ति में अधिकार की माँग करने के लिए कानून से पहले एक लंबी सामाजिक जंग को जीतना पड़ता है। महिलाएं जब सामाजिक रिश्तों से अलग अपने पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी की माँग करती भी थीं, तो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 कई महिलाओं के सामने अड़चन पैदा किया करता था। इस कानून के पास होने के बाद कई स्तर पर ये सवाल खड़ा हुआ कि क्या ये कानून बीते हुए समय से लागू होगा? यानी क्या इस कानून के तहत वो महिलाएं भी पैतृक संपत्ति की माँग कर सकती हैं, जिनके पिता कानून संशोधन के समय जिंदा नहीं थे? इस वजह से बीते 15 सालों में महिलाओं की एक बड़ी संख्या पैतृक संपत्ति में अपना अधिकार माँगने से वंचित रह गई। कई महिलाएं कोर्ट तक पहुंचीं, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। 11 अगस्त 2020 को उच्चतम न्यायलय ने हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 की पुनर्व्याख्या करते हुए बेटियों को भी बेटों की तरह पैतृक संपत्ति का जन्म से ही संयुक्त कानूनी वारिस घोषित किया है।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956

हिंदू कानून की मिताक्षरा धारा को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के रूप में संहिताबद्ध किया गया। संपत्ति के उत्तराधिकार को इसी अधिनियम के तहत प्रबंधित किया गया, जिसने कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में केवल पुरुषों को मान्यता दी गई। यह उन सभी पर लागू होता है जो धर्म से मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं हैं। बौद्ध, सिख, जैन और आर्य समाज, ब्रह्म समाज के अनुयायियों को भी इस कानून के तहत हिंदू माना गया है। एक अविभाजित हिंदू परिवार में, कई पीढ़ियों के संयुक्त रूप से कई कानूनी उत्तराधिकारी

मौजूद हो सकते हैं। कानूनी उत्तराधिकारी परिवार की संपत्ति की संयुक्त रूप से देख-रेख करते हैं।

हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लैंगिक आधार पर भेदभाव करता है और यह भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 14 से 18) के विरुद्ध है। 1956 के अधिनियम को सितंबर 2005 में संशोधित किया गया और वर्ष 2005 से संपत्ति विभाजन के मामले में महिलाओं को सहदायक/कॉपर्सेनर के रूप में मान्यता दी गई। 5 सितंबर 2005 को संसद ने अविभाजित हिंदू परिवार के उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन किया था, और यह संशोधित अधिनियम 9 सितंबर 2005 को लागू हो गया था। अधिनियम की धारा 6 में संशोधन करते हुए एक कॉपर्सेनर की पुत्री को भी जन्म से ही पुत्र के समान कॉपर्सेनर माना गया। इस संशोधन के तहत पुत्री को भी पुत्र के समान अधिकार और देनदारियाँ दी गईं। यह कानून पैतृक संपत्ति और व्यक्तिगत संपत्ति में उत्तराधिकार के नियम को लागू करता है, जहाँ उत्तराधिकार को कानून के अनुसार लागू किया जाता है, न कि एक इच्छा-पत्र के माध्यम से।

विधि आयोग की 174वीं रिपोर्ट में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में सुधार की सिफारिश की गई थी। वर्ष 2005 के संशोधन से पहले आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने कानून में यह बदलाव कर दिया था। केरल ने वर्ष 1975 में ही हिंदू संयुक्त परिवार प्रणाली को समाप्त कर दिया था।

पुनर्व्याख्या की जरुरत

साल 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून में संशोधन करके ये व्यवस्था की गई थी कि महिलाओं को पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन जब महिलाओं की ओर से अधिकारों की माँग की गई तो ये मामले कोर्ट पहुंचे, और कोर्ट पहुंचकर भी महिलाओं के हक में फैसले नहीं हुए। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर फैसले दिए और इन फैसलों में काफी विरोधाभास देखा गया। साल 2015 में प्रकाश बनाम फूलवती केस में जस्टिस ए.के. गोयल की अध्यक्षता में दो जजों की एक बेंच ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर पिता की मौत हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून के 9 सितंबर, 2005 को पास होने से पहले हो गई है तो बेटी को पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलेगा, लेकिन इसके बाद साल फरवरी 2018 में दन्नमा बनाम अमर मामले में जस्टिस ए.के. सीकरी की अध्यक्षता में दो जजों की एक अन्य बेंच ने अपने फैसले में कहा कि भले ही पिता की मौत कानून लागू होने के बाद हुई हो तब भी बेटी को पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। इसके बाद अप्रैल 2018 में ही जस्टिस आर.के. अग्रवाल की अध्यक्षता में दो जजों की बेंच ने 2015 के फैसले को कायम रखा। दो जजों की बेंच के इन विरोधाभासी फैसलों को देखते हुए एक तीन सदस्यीय बेंच का गठन किया गया।

जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि लड़के और लड़की को पिता की संपत्ति में बराबर का उत्तराधिकार मिलेगा। न्यायालय ने कहा कि एक हिंदू महिला को संपत्ति में संयुक्त उत्तराधिकारी होने का अधिकार जन्म से मिलता है। इस अधिकार पर ये शर्त लागू नहीं होती कि साल 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून में संशोधन के समय अधिकार मांगने वाली महिला के पिता जीवित थे या नहीं।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय

जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस एम.आर. शाह की तीन सदस्यीय पीठ ने इस मसले पर सुनवाई की। 11 अगस्त 2020 को जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अब महिलाओं को वही हिस्सेदारी हासिल होगी जितनी उसे उस स्थिति में होती अगर वह एक लड़के के रूप में जन्म लेती। यानी लड़के और लड़की को पिता की संपत्ति में बराबर का उत्तराधिकार मिलेगा चाहे उसके पिता की मौत कभी भी हुई हो। इस मसले पर ये फैसला सुनाकर सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के सामने खड़े उस सवाल को हल कर दिया है कि उन्हें पिता की संपत्ति में कितनी हिस्सेदारी हासिल है।

न्यायालय ने कहा कि एक हिंदू महिला को संपत्ति में संयुक्त उत्तराधिकारी होने का अधिकार जन्म से मिलता है। कोर्ट ने ये भी कहा कि इस अधिकार पर ये शर्त लागू नहीं होती है कि साल 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून में संशोधन के समय अधिकार माँगने वाली महिला के पिता जीवित थे या नहीं। ये फैसला संयुक्त हिंदू परिवारों के साथ-साथ बौद्ध, सिख, जैन, आर्य समाज और ब्रह्म समाज समुदाय पर भी लागू होगा। इस फैसले के तहत वे महिलाएं भी अपने पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार की माँग कर सकती हैं जिनके पिता का 9 सितंबर 2005 से पहले निधन हो चुका हो।

सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 की पुनर्व्याख्या करते हुए एक बार फिर समाज के उस जनमानस में चेतना लाने का प्रयास किया है जो ऐतिहासिक कानून के बाद भी जड़हीन हो चुकी सामाजिक मान्यताओं में जी रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इस निर्णय में पुरुष उत्तराधिकारियों के समान हिंदू महिलाओं के पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार और संयुक्त कानूनी उत्तराधिकार अधिकार का विस्तार किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को छः माह के भीतर इस मामले से जुड़े मामलों को निपटाने का भी निर्देश दिया।

निष्कर्ष

न्यायालय का यह फैसला भारत की बेटियों में उम्मीद जगाता है। न्यायालय ने अपने निर्णय में जोर देकर और स्पष्ट रूप से कहा है कि बेटियां और बेटे माता-पिता के परिवार के समान रूप से महत्वपूर्ण सदस्य हैं और उनके समान अधिकार और दायित्व हैं। इससे स्पष्ट होता है कि बेटी की शादी इस अधिकार को नहीं बदलती है। यह निर्णय अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगा। उम्मीद है कि यह निर्णय हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के भीतर शेष असमानताओं को दूर करने का मार्ग प्रशस्त करेगा और लैंगिक असमानता को कम करने में कारगर साबित होगा। साथ ही वसीयत के प्रावधान का दुरुपयोग कर बेटियों को बेदखल करने में भी कमी आएगी। न्यायालय ने समानता का जोरदार समर्थन कर देश की निचली अदालतों द्वारा विरासत कानूनों की अधिक न्यायसंगत व्याख्या का मार्ग प्रशस्त करता है, जिससे भूमि और संपत्ति में बेटियों के अधिकारों के लंबे समय से चल रहे मामलों को निपटाने में मदद मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस बात की पुष्टि करता है कि परिवारों के लिए सभी मामलों में बेटियों की समानता को अनुग्रह के साथ आत्मसात करने, उन्हें कानूनप्रदत्त अधिकार प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने का समय है कि बेटियां भय और भ्रम के बजाय स्वतंत्रता और सुरक्षा में बड़ी हों।

◆◆

पैरवी गतिविधियाँ

जनघोष, बिहार विधानसभा चुनाव 2020

23 सितंबर - 8 अक्टूबर। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए पीपुल्स मेनिफेस्टो के लिए समन्वय समिति द्वारा प्रयास का आयोजन किया गया था। यह गैर राजनीतिक खुला समूह था जो उन सीएसओ, जन आंदोलनों, समुदायों, समूहों के छोटे और बड़े प्रयासों के समन्वय के लिए बनाया गया था जो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा सुने जाने के लिए अपनी चिंताओं और अपेक्षाओं को व्यक्त करना चाहते थे। 23 सितंबर को एक प्रारंभिक बैठक हुई, जिसमें विचार पर चर्चा हुई और इस प्रयास को अन्य समूहों तक ले जाने और विभिन्न मुद्दों पर काम करने वाले अधिक लोगों/ समूहों और समुदायों को इस समूह में लाने हेतु एक छोटी समन्वय समिति की स्थापना की प्रक्रिया शुरू की गई। इसके उपरांत विभिन्न समुदायों, जनसंगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ अलग-अलग मुद्दों पर विमर्श का आयोजन किया गया। इस प्रक्रिया में 18 से अधिक ऑनलाइन बैठकें आयोजित की गईं, जिसका समापन 8 अक्टूबर को अंतिम पूर्ण बैठक में हुआ, जिसमें सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया और जनघोषणा-पत्र व लोगों की मुख्य आकांक्षाओं को उनके साथ साझा किया गया। इन बैठकों में कृषि और खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, पर्यावरण और शहरी मुद्दों, स्वास्थ्य और पोषण, शासन की जवाबदेही और समावेश, पंचायती राज और ग्रामीण विकास, बाल अधिकार, महिला अधिकार, कैदियों के अधिकार, दलित अधिकार, पानी और स्वच्छताए फेरीवाले और रेहड़ी-पटरी वाले, मजदूर और पलायन, बाढ़ और आपदा, रोजगार और अर्थव्यवस्था, अल्पसंख्यक और व्यापक न्याय जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में प्रो. संजय पासवान (भाजपा), श्री अतुल कुमार सिंह अंजान (भाकपा), श्री आरएन ठाकुर (सीपीएम), डॉ. नवल किशोर (राजद), सौरभ सिन्हा (कांग्रेस) ने भाग लिया। अंतिम और राजनीतिक दलों के साथ संवाद के सत्र में इस प्रक्रिया के दौरान बनाई गई एक लघु फिल्म द्वारा जनघोषणा-पत्र के प्रमुख बिन्दुओं को प्रस्तुत किया गया।

नागरिक पत्रकारिता पर कार्यशाला

1-2 सितंबर 2020 को नागरिक पत्रकारिता और न्यू मीडिया पर मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का आयोजन पैरवी, पैन मीडिया फाउण्डेशन और सिकोईडिकॉन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। कार्यशाला में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के लगभग 30 युवाओं ने भाग लिया। इस कार्यशाला में वे पत्रकारिता के सैद्धांतिक पहलुओं से अच्छी तरह वाकिफ हुए और उन्हें मीडिया को समझने और लोगों को जोड़ने, समाचार लिखने, लोगों को प्रेस से जोड़ने, कहानी सुनाने, नए मीडिया और झूठे समाचारों (फेक न्यूज) को संभालने का प्रशिक्षण दिया गया।

कोविड 19 महामारी में जेल और कैदी

15 सितंबर। कोविड महामारी के दौरान कैदियों के अधिकारों पर ऑनलाइन परामर्श का आयोजन किया गया। परामर्श का आयोजन पैरवी और बंदी अधिकार आंदोलन द्वारा किया गया था। परामर्श की अध्यक्षता प्रो. संजय पासवान, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार और एमएलसी, बिहार ने की। वक्ताओं ने महामारी के दौरान जेल की स्थिति, विशेष रूप से उच्चतम न्यायालय द्वारा राज्य सरकारों को दी गई सलाह पर अमल न करने पर चिंता व्यक्त की, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने महामारी के मद्देनजर कैदियों को रिहा करने की सलाह दी थी। प्रतिभागियों ने जेल सुधारों पर राज्य सरकार के साथ निरंतर वकालत और संवाद करने पर जोर दिया।

महामारी में स्वास्थ्य का अधिकार: चिंता, चुनौतियाँ और सरकार की प्रतिक्रियाएँ

20 सितंबर 2020। पैरवी और ग्लोकल लॉ स्कूल, सहारनपुर द्व ारा ऑनलाइन पैनल डिस्कशन का आयोजन में किया गया। वक्ताओं ने महामारी के दौरान जब लोगों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के टूटने पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने चर्चा की कि भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली कैसे बीमार है। उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया, विशेष रूप से ग्रामीण बुनियादी ढांचे, नागरिक समाज संगठन के साथ सहयोग और सामुदायिक भागीदारी और भारत में स्वास्थ्य के अधिकार के राष्ट्रीय कानूनी ढांचे पर।

मध्य प्रदेश में आईसीपीएस सेवाएं

26 सितंबर 2020। आईसीपीएस को बच्चों की सुरक्षा और बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय माना जाता है। मध्य प्रदेश में आईसीपीएस के मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए पैरवी द्वारा निवसिड (बचपन), भोपाल के साथ ऑनलाइन परामर्श आयोजित किया गया। सीडब्ल्यूसी के सदस्यों, बाल अधिकार कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज संगठनों के सदस्यों ने इस परामर्श में भाग लिया। वक्ताओं और प्रतिभागियों ने सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष सहित जेजेबी और एससीपीसीआर में रिक्तियों पर ध्यान केंद्रित किया, जिला बाल संरक्षण इकाई और बाल संरक्षण कार्यबल की सक्रियता, बजटीय आवंटन में वृद्धि और सामुदायिक स्तर पर बाल संरक्षण समितियों की सक्रियता और उनके उचित प्रशिक्षण पर जोर देने के साथ अपने विचार रखे।

संपत्ति पर महिलाओं का समान अधिकार

18 नवंबर 2020। यह ऑनलाइन परामर्श अमलतास, लखनऊ के साथ मिलकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को उजागर करने के लिए आयोजित किया गया था जिसमें कहा गया था कि बेटियों को हिंदू परिवार की संपत्ति पर समान अधिकार हैं। सभी हिंदू महिलाओं को अब 1956 से अपने पिता की संपत्ति पर समान अधिकार प्राप्त हैं, जब उत्तराधिकार कानून को पहली बार संहिताबद्ध किया गया था। संपत्ति पर महिलाओं के अधिकार के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए हालिया निर्णय में यह घोषित किया गया है कि हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के तहत महिलाओं को समान संपत्ति का अधिकार है, भले ही वे 2005 से पहले पैदा हुई हों और उस समय पिता जीवित रहे हों या नहीं। यदि संशोधन लागू होने से पहले महिला की मृत्यु हो जाती है, तो उसका हिस्सा उसके बच्चों को दिया जा सकता है। वक्ताओं ने प्रतिभागियों को इस निर्णय के अर्थ और निहितार्थ को बारीकी से समझाया।

छत्तीसगढ़ में न्याय तक पहुंच पर कोविड 19 महामारी का प्रभाव

21 नवंबर 2020। इस वेबिनार में छत्तीसगढ़ राज्य के कुछ प्रमुख कार्यकर्ता एक साथ आए और लॉकडाउन के साथ कोविड-19 की युद्ध जैसी स्थिति में न्याय प्राप्त करने के लिए अपने काम पर अपने अनुभव साझा किए। प्रतिभागियों को क्षेत्र के अनुभवों के बारे में बताया गया कि कैसे कानून और न्याय को लागू करना इस समय सबसे कठिन था। अंतिम मिनटों में ऑस्ट्रेलिया से जीआरआई के मुख्य संपादक के साथ एक सक्रिय बातचीत हुई जहां उन्होंने साझा किया कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ऐसी स्थितियों को अपने स्तर पर कैसे संभाला।

किशोर न्याय में बाल कल्याण पुलिस कार्यालयों की भूमिका और प्रभाव

29 नवंबर 2020। किशोर न्याय प्रणाली में कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे पहले बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत करते हैं। प्रत्येक पुलिस स्टेशन में कम से कम एक अधिकारी, जो

सहायक उप-निरीक्षक के पद से नीचे का न हो, को बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। यह अधिकारी पुलिस, स्वैच्छिक और गैर-सरकारी संगठनों के समन्वय से पीड़ित या कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं। हालांकि, उनके पास सही मायने में योग्यता, प्रशिक्षण और अभिविन्यास की कमी है। किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों, बाल अधिकार कार्यकर्ताओं और सीएसओ के सदस्यों ने बंदी अधिकार आंदोलन के साथ आयोजित परामर्श में भाग लिया और नागरिक समाज संगठनों के साथ बेहतर सहयोग के साथ सीडब्ल्यूपीओ को बेहतर, संवेदनशील और प्रशिक्षित करने के लिए अपनी अंतर्दृष्टि और सुझाव साझा किए। वक्ताओं ने पुनर्वास, बहाली और एकीकरण पर जोर दिया जो किशोर न्याय अधिनियम और अलग संवर्ग किशोर पुलिस नीति की भावना है।

उत्तर प्रदेश में बीड़ी श्रमिकों की स्थिति एवं कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच

30 नवंबर 2020। इस ऑनलाइन बैठक का आयोजन अमलतास, लखनऊ के साथ किया गया। बैठक बीड़ी श्रमिकों के वास्तविक मुद्दों और चुनौतियों को सामने लाने पर केंद्रित थी। उत्तर प्रदेश में बीड़ी श्रमिकों के साथ काम करने वाले संगठनों ने बैठक में भाग लिया और अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बीड़ी श्रमिकों की स्थिति और उत्तर प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक उनकी पहुंच पर चर्चा की। प्रतिभागियों ने बीड़ी श्रमिकों की पीड़ा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच की कमी पर अपने अनुभव और विचार साझा किए। उन्होंने बीड़ी श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए सुझाव और बैस्ट प्रेक्टिस के अनुभव साझा किए और उनके लिए वैकल्पिक आजीविका पर जोर दिया।

बंदियों के मताधिकार का अभियान

18 अक्टूबर 2020 और 28 नवंबर 2020। पैरवी कैदियों को मतदान के अधिकार की वकालत करता रहा है। कैदियों को अधिकांश अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है लेकिन वे अभी भी भारत के नागरिक हैं और लोकतंत्र में बिना वोट के नागरिकों का कोई अस्तित्व नहीं है। कैदियों को उनके वोट के अधिकार से वंचित करना उस कानून और नीति को कमजोर करता है जो कैदियों के पुनर्वास और एकीकृत करने के लिए है। वे कुछ परिस्थितियों में चुनाव लड़ सकते हैं और जमानत पर बाहर होने पर मतदान भी कर सकते हैं लेकिन जेल में होने पर नहीं। पैरवी ने बंदी अधिकार आंदोलन के साथ कैदियों के मतदान के अधिकार के लिए राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। इस संदर्भ में अक्टूबर और नवंबर को बिहार में अधिवक्ताओं, नागरिक समाज संगठनों और जनप्रतिनिधियों के साथ दो संक्षिप्त बैठकें आयोजित की गईं। अभियान को नागरिक समाज, शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों का समर्थन मिल रहा है।

जेल सुधार और सुधारात्मक न्याय

26 नवंबर 2020। संविधान दिवस पर बिहार में जेल सुधारों की वकालत करने और सुधार सेवाओं को मजबूत करने के लिए ए. एन. सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान, पटना में परामर्श का आयोजन किया गया। परामर्श के मुख्य अतिथि श्री राम सूरत कुमार, कानून मंत्री, बिहार सरकार ने नागरिक समाज संगठनों को रचनात्मक सुझाव देने और सामाजिक स्तर पर सुधारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। नीरज कुमार झा, निदेशक, बिहार सुधार प्रशासन संस्थान ने बिहार में सर्वोत्तम जेल प्रथाओं को साझा किया और बैठक में उपस्थित मंत्री से वृद्ध कैदियों के लिए बेहतर व्यवस्था के लिए आग्रह किया। परामर्श की अध्यक्षता करते हुए प्रो. संजय पासवान, पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार और एमएलसी, बिहार ने सरकार के साथ नागरिक समाज संगठनों के रचनात्मक जुड़ाव पर जोर दिया। ◆◆

संपादक मंडल
प्रो. संजय भट्ट
अजय के. झा
रजनीश साहिल

लेआउट
रजनीश साहिल

प्रकाशक
पैरवी
के-8, तीसरा तल, लाजपत नगर-3, नई दिल्ली-110024
द्वारा सीमित प्रसार के लिए प्रकाशित

मुद्रक
दिनकर आर्ट्स
दिल्ली

संपर्क - फोन: 011-29841266, 46101652 | ईमेल: pairvidelhi1@gmail.com, info@pairvi.org | वैबसाइट: www.pairvi.org